जेपीआर 5–703

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर–302008
फोन नं0 – 0141–2747041, फैक्स नं0 – 0141–2744803
ईमेल – **c_comml@yahoo.com**

क्र0जेपीडी / अधी.अ / वा. / अधिअभि (वा–I) / पत्रा.एफ.4(236)Pt II / प्रे0 973 दिनांक – 23/05/2013

आदेश

विषय – अमानीशाह नाले के भराव क्षेत्र में बिजली के नये कनेक्शन नहीं देने के संबंध में।

आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्र क्र0एस.ई.– I / प्रे0 1186 दिनांक 30.08.2012 के द्वारा दिनांक 27 अगस्त 2012 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की 14वीं बैठक में लिये गये निर्णय "अमानीशाह नाला तथा अन्य नाले जिनमें पानी भरता है या बहाव क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को निर्माण निषेध घोषित किया जावे तथा इनमें बिजली एवं पानी के कनेक्शन नहीं दिये जावें" से अवगत कराते हुए निर्णय की प्रभावी रूप से पालना हेतु सूचित किया गया था।

इस संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र क्र0 1389 दिनांक 07.09.2012 एवं 1719 दिनांक 30.10.2012 के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण से जिन क्षेत्रों को निर्माण निषेध घोषित किया गया है, उनका विस्तृत विवरण भिजवाने हेतु आग्रह किया गया था। जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र क्र0 जविप्रा / अधि.अभि.–7 / 2013–14 / डी–255 दिनांक 09.05.2013 के द्वारा अमानीशाह नाले के बहाव क्षेत्र में आ रही भूमि का नक्शा संलग्न करते हुए माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नया बिजली कनेक्शन जारी नहीं करने हेतु सूचित किया है।

इस संदर्भ में यह निर्देश जारी किये जाते हैं कि अमानीशाह नाले के बहाव क्षेत्र में आ रही भूमि में (जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नक्शों के अनुसार) किसी भी प्रकार का नया बिजली कनेक्शन जारी नहीं किया जावे। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी माने जायेंगे।

आज्ञा से

[signature] 23-05-13
(आर0 पी0 अग्रवाल)
अधीक्षण अभियन्ता(वाणिज्य)

D/joshi/JPR-